कोविड–19
अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी / कोरोना / 2020 / 1000 दिनांकः 25-8-2020

समस्त
संयुक्त निदेशक जोन
राजस्थान।

विषयः– कोविड चिकित्सालयों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के क्रम में।
संदर्भः– निदेशालय के आदेश क्रमांक आईडीएसपी / कोरोना / 2020 / 74 दिनांक 25.07.2020 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि उक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको राजकीय व निजी चिकित्सालयों जो कि कोविड रोग का उपचार उपलब्ध करा रहे है पर मूलभूत व अन्य सुविधाएं सुनिश्चित करने हेतु कमेटी गठित करते हुये निरीक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक की गई कार्यवाही की सूचना निदेशालय की ईमेल rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर नहीं भिजवायी गई है। अतः पुनः निर्देशित किया जाता है अविलम्ब निरीक्षण संबंधी सूचनायें निर्धारित प्रपत्र में एवं निर्धारित समय पर भिजवाना सुनिश्चित करें। विलम्ब के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः आईडीएसपी / कोरोना / 2020 / 1000 दिनांकः 25-8-2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), राजस्थान।
4. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
5. अति. निदेशक (ग्रा.स्वा.), मुख्यालय।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
7. समस्त अधीक्षक, संलग्न मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, राजस्थान।
8. राज्य नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
12. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन, राजस्थान।
13. अध्यक्ष प्राईवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग ऑफ सोसायटी, राजस्थान।
14. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधितों को ई–मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड वास्ते।
15. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वा)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक आईडीएसपी / कोरोना / 2020 / 74 दिनांक 25.07.2020

आदेश

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एम.डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 07 / 2020 दिनांक 19.06.2020 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में कोविड–19 रोगियों के समुचित उपचार हेतु समस्त आवश्यक मूलभूत सुविधायें सुनिश्चित करने हेतु संभाग व जिलेवार निम्न प्रकार से कमेटियां गठित की जाती है:–

संभाग स्तर :–

1. संबंधित जिला कलक्टर का नामित प्रतिनिधि (एडीएम स्तर से कम ना हो)
2. संयुक्त निदेशक, संबंधित जोन–समन्वयक।
3. वरिष्ठ फिजिशियन, मेडिकल कॉलेज
4. वरिष्ठ निश्चेतक, मेडिकल कॉलेज
5. वरिष्ठ माइक्रोबायोलोजिस्ट, मेडिकल कॉलेज
6. वरिष्ठ पल्मोनोलोजिस्ट / क्षय रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज
7. वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ, मेडिकल कॉलेज
8. वरिष्ठ विशेषज्ञ पीएसएम विभाग, मेडिकल कॉलेज।
9. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), संबंधित जिला।

संभागीय तकनीकी कमेटी :–

उक्त कमेटी में उपरोक्त कमेटी के क्रम सं. 01 के अतिरिक्त शेष सभी सदस्य होंगे। कमेटी का यह दायित्व होगा कि वह कोविड–19 रोगियों के स्वास्थ्य से संबंधित आने वाली सूचनाओं का प्रतिदिन तकनीकी रूप से आकलन कर आवश्यकतानुसार दिशा-निर्देश / उच्चतर संस्थान में रेफर किये जाने की अनुशंषा प्रदान करेंगी।

जिला स्तर :–

1. संबंधित जिला कलेक्टर का नामित प्रतिनिधि (एडीएम स्तर से कम ना हो)
2. वरिष्ठ फिजिशियन / चेस्ट एवं टीबी / शिशुरोग विशेषज्ञ, जिला अस्पताल।
3. वरिष्ठ निश्चेतक, जिला अस्पताल।
4. वरिष्ठ माइक्रोबायलोजिस्ट, मेडिकल कॉलेज / जिला अस्पताल।
5. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), संबंधित जिला।

जिला स्तर की कमेटी जिले के समस्त कोविड निजी चिकित्सालयों का निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण दल में जिला कलक्टर का नामित प्रतिनिधि एवं न्यूनतम अन्य कोई भी 02 कमेटी सदस्यों की उपस्थिति में ही निरीक्षण किया जाना सुनिश्चित करेंगी।

संभाग स्तर की कमेटी संभाग में स्थापित समस्त राजकीय व निजी कोविड चिकित्सालयों का निरीक्षण करेगी तथा निरीक्षण दल में संबंधित जिला कलक्टर के नामित प्रतिनिधि के अतिरिक्त संयुक्त निदेशक–संबंधित जोन एवं मेडिकल कॉलेज के न्यूनतम 02 विषय विशेषज्ञ की उपस्थिति में निरीक्षण करना सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

समस्त राजकीय/निजी कोविड चिकित्सालय के प्रभारियों का यह दायित्व होगा कि उनके संस्थान में कोविड–19 रोग से भर्ती होने वाले Symptomatic कोविड केयर सेन्टर रोगियों के विशेषतौर Moderate and Severe रोगियों की स्थिति का आंकलन करने हेतु संलग्न प्रपत्र में रोगी की स्थिति से संबंधित समस्त सूचनाओं का इन्द्राज करते हुए प्रतिदिन संभाग स्तर की तकनीकी कमेटी को उपलब्ध करवायेंगे। तकनीकी कमेटी का यह दायित्व होगा कि वह जिलों से प्राप्त होने वाले कोविड–19 के रोगियों की रिपोर्ट का आंकलन कर यह सुनिश्चित करेंगे कि संबंधित चिकित्सालय द्वारा ट्रीटमेन्ट प्रोटोकॉल की पालना की जा रही है अथवा नहीं तथा आवश्यकतानुसार आवश्यक दिशा–निर्देश प्रदान करेंगी। जिला/संभाग स्तरीय कमेटी संबंधित जिला में उपलब्ध आइसोलेशन बेड की नियमित मॉनिटरिंग करेगी एवं उपलब्ध बेड्स का विवरण Public Domain में सार्वजनिक करना सुनिश्चित करेगी।

यदि कोविड–19 रोगी को जिले से अन्यत्र उच्चतर संस्थान में रैफर किया जाना है तो संभाग स्तर की कमेटी अनुशंषा उपरान्त ही उच्चतर संस्थान में रैफर किया जा सकेगा।

जिला/संभाग स्तर की कमेटियों द्वारा कोविड–19 अस्पतालों में निम्न दिशा–निर्देशों की भी पालना सुनिश्चित करवायेंगे :–

1. <u>Treatment Protocol **की पालना–**</u> उक्त कमेटियां अपने जिले के समस्त राजकीय एवं निजी डेडीकेटेड कोविड अस्पताल कोविड केयर सेन्टर का भ्रमण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कोविड–19 रोगी के भारत सरकार द्वारा जारी Treatment Protocol अनुसार रोगी का उपचार करवाना सुनिश्चित करवायेंगे। साथ ही उक्त कमेटियां, चिकित्सा संस्थानों में कोविड–19 रोग के उपचार से संबंधित आवश्यक उपकरण, दवा एवं आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगी।
2. <u>Dignified Handling of Dead Bodies-</u> उक्त कमेटियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि समस्त राजकीय एवं निजी कोविड चिकित्सा संस्थानों में कोविड–19 रोग से मृत्यु होने पर रोगी के शव को अस्पताल/शवगृह में सम्मानजनक तरीके से रखने की व्यवस्था हो ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों की पालना सुनिश्चित की जा सकें।
3. <u>CCTV Camera **की स्थापना**-</u> उक्त कमेटियां माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किया जाना सुनिश्चित करवायेंगी ताकि कैमरों के माध्यम से रोगियों से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की निगरानी रखी जा सकें। साथ ही सीसीटीवी कैमरा लगाते हुए इस बात का भी ध्यान रखा जावें कि सीसीटीवी कैमरे के कारण रोगियों की किसी भी प्रकार की निजता भंग न हो।
4. <u>Help Desk **की स्थापना एवं** Stress Management-</u> उक्त कमेटियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि सभी डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों में रोगियों की सहायता हेतु एक हेल्प डेस्क स्थापित की जावें ताकि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी निर्देशानुसार रोगी अथवा उसके परिजनों को व्यक्तिगत/दूरभाष/मोबाईल पर आवश्यक सहायता प्राप्त हो सकें। साथ ही रोगी के एक परिजन को अस्पताल द्वारा निर्धारित स्थान पर अस्पताल परिसर में रुकने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जिला स्तर के कन्ट्रोल रूम में भी इसी तरह की हेल्प डेस्क की सुविधा भी सुनिश्चित की जावे एवं इसके दूरभाष नम्बर का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें। साथ ही कमेटियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि कोविड चिकित्सालयों में कोविड रोगियों के मानसिक तनाव को कम करने हेतु समुचित व्यवस्था हो।
5. <u>**राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जांच व उपचार–**</u>उक्त कमेटियां यह भी सुनिश्चित करेंगी कि निजी अस्पतालों द्वारा कोविड–19 रोगियों के जांच व उपचार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर के अनुरूप की जा रही है।

उक्त कमेटियां अपने निरीक्षण के दौरान यदि किसी राजकीय व निजी डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों में किसी भी प्रकार की उपचार, जांच, आधारभूत सुविधायें, उपकरण, दवाईयों व अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी पायी जाती है तो संबंधित को लिखित में सूचित करते हुये आवश्यक सुधार करायेंगी तथा इसकी निदेशालय को भी लिखित में सूचित करेंगी।

समस्त राजकीय व निजी डेडीकेटेड कोविड चिकित्सा संस्थानों के प्रभारियों का यह दायित्व है कि वे माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदत्त निर्देशों की पूर्ण पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

Scanned with CamScanner

जिला/संभाग स्तर की कमेटियों का यह भी उत्तरदायित्व होगा कि वह कमेटी के सदस्यों के साथ समस्त राजकीय एवं निजी डेडीकेटेड कोविड अस्पतालों का 07 दिवस में भ्रमण व निरीक्षण कर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना संबंधित कोविड अस्पतालों में कराना सुनिश्चित करेगी।

कमेटिया प्रथम निरीक्षण उपरान्त समस्त कोविड चिकित्सा संस्थानों का प्रत्येक 15 दिवस में निरीक्षण करेगी तथा यदि किसी चिकित्सा संस्थान के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो कमेटिया पुनः तुरन्त प्रभाव से निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेगी।

संयुक्त निदेशक का यह दायित्व होगा कि वह संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक 15 दिवस में किये गये भ्रमण एवं निरीक्षण की रिपोर्ट निदेशालय की ई–मेल आई.डी. rajasthan_idsp@yahoc.co.in पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

(अखिल अरोरा)
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक आईडीएसपी/कोरोना/2020/ 74 दिनांक: 25/07/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक (एनएचएम), राजस्थान।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. अतिरिक्त निदेशक (ग्रा0स्वा0), मुख्यालय।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय एवं निजी मेडिकल कॉलेज, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कमेटियों का गठन किया जाना सुनिश्चित करें।
9. समस्त अधीक्षक, संलग्न मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय, राजस्थान।
10. राज्य नोडल अधिकारी (आईडीएसपी), मुख्यालय।
11. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राजस्थान।
12. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
13. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार कमेटियों का गठन किया जाना सुनिश्चित करें।
14. समस्त उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (स्वास्थ्य), राजस्थान।
15. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, राजस्थान।
16. अध्यक्ष, प्राईवेट हॉस्पिटल एवं नर्सिंग ऑफ सोसायटी, राजस्थान।
17. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधितों को ई–मेल करने एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने।
18. रक्षित पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर

Scanned with CamScanner

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एस.एम.डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 07/2020 दिनांक 19.06.2020 द्वारा पारित आदेशों के क्रम में राजकीय एवं निजी कोविड चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण रिपोर्ट के संबंध में प्रपत्र

नाम संभाग : ....

जिले का नाम	निरीक्षण किये चिकित्सा संस्थान का नाम मय पता	चिकित्सा संस्थान का प्रकार (निजी/ राजकीय)	संस्था प्रभारी का नाम	बेड क्षमता	निरीक्षण दिनांक	Treatment Protocol की पालना की जा रही है अथवा नहीं	Dignified Handling of Dead Bodies	CCTV Camera की स्थापना की गई है अथवा नहीं	Help Desk की स्थापना की गई है अथवा नहीं	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर जांच व उपचार किया जा रहा है अथवा नहीं	क्या संस्थान में मूलभूत सुविधाओं में कमियां पायी गयी है – हां या ना	क्या संस्थान को पाई गई कमियों के संबंध में लिखित में सूचित किया गया है	विशेष विवरण

नोट : उक्त सूचना प्रत्येक 15 दिवस में ई-मेल आईडी. rajasthan_idsp@yahoo.co.in पर भिजवाना सुनिश्चित करें।

Scanned with CamScanner